झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
नवम् (मानसून)सत्र
वर्ग-02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 11 श्रावण,1944(श०) / 02 अगस्त,2022(ई०) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां०सं	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
20-	अ०सू०-16	श्री सरयू राय	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कार्रवाई।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।	28/07/22
*21-	अ०सू०-01	श्री अमित कुमार मंडल	उच्चस्तरीय जॉच	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	25/07/22
22-	अ०सू०-12	श्री नलिन सोरेन	ACP एवं MACP का सुविधा देना।	स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता	26/07/22
23-	अ०सू०-10	श्री अनन्त कुमार ओझा	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता	25/07/22
24-	अ०सू०-06	श्री प्रदीप यादव	प्लास्टिक पर रोक	वन, पर्यावरण एवं जलवायू परिवर्तन	25/07/22
25-	अ०सू०-09	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	पदो का सृजन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25/07/22
26-	अ०सू०-11	श्री विनोद कुमार सिंह	यु०जी०सी० रेगुलेशन को लागू करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।	25/07/22
27-	अ०सू०-14	श्री लम्बोदर महतो	डियर पार्क की स्थापना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायू परिवर्तन	28/07/22
28-	अ०सू०-15	श्री सरयू राय	पढ़ाई जारी कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	28/07/22
29-	अ०सू०-05	श्री कमलेश कुमार सिंह	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25/07/22

*अ-सू-21 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तारांकित प्र.192, दिनांक 25/07/2022 के बाद आर्थिक विकास विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
30-अ०सू०-17	श्री विकास कुमार मुण्डा,	नियमावली बनाना।		स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	28/07/22
31-अ०सू०-03	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति।		स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	25/07/22
32-अ०सू०-08	श्री प्रदीप यादव	समस्याओं का समाधान।		स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	25/07/22
33-अ०सू०-04	श्री मनीष जायसवाल	रिक्त पदों पर नियुक्ति करना।		उच्च एवं तकनीकी। शिक्षा।	25/07/22
34-अ०सू०-02	श्री बिरंची नारायण	दोषियों पर कार्रवाई।		खान एवं भूतत्व	25/07/22
35-अ०सू०-07	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना।		पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	25/07/22
36-अ०सू०-13	श्री भूषण बड़ा	BCA एवं ABCA की शिक्षा देना।		स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	26/07/22

राँची,
दिनांक-02 अगस्त,2022

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०प्रश्न-03/2021-2015 वि०स०,राँची,दिनांक-30/07/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/2022
(गुरुचरण सिंकू)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०प्रश्न-03/2021-2015 वि०स०,राँची,दिनांक-30/07/22

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव, को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव(प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/2022
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०प्रश्न-03/2021-2015 वि०स०,राँची,दिनांक-30/07/22

प्रतिः- कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, J.V.S.T.V शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/2022
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

पाण्डेय/-

30/07/22

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2022 कोपूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि दामोदर, स्वर्णरेखा, हरमु एवं राज्य की अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों का अपरिष्कृत सिवरेज–ड्रेनेज नदियों में गिरने से नदियों का भीषण प्रदूषण हो रहा है तथा जलीय जीवों एवं वनस्पतियों का विनाश हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। हरमू नदी पर नगरीय बहिस्राव को संशोधन हेतु 08 (आठ) स्थानों पर एस०टी०पी० (Sewage Treatment Plant) की स्थापना की गई है, जिसमें सं०–07 चालू अवस्था में है एवं 01 निर्माणाधीन है। नदियों का शहरी प्रदूषण रोकने तथा नगरीय प्रदूषकों को रोकने हेतु राज्य में 14 एस०टी०पी० यथा राँची, साहेबगंज, राजमहल, जमशेदपुर, बोकारो एवं धनबाद में कार्यरत है। राज्य के अन्तर्गत कुल 104 MLD क्षमता का STP निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 427 MLD क्षमता का STP का प्रस्ताव है।
2. क्या यह बात सही है किझारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दामोदर, स्वर्णरेखा, हरमू एवं अन्य नदियों का शहरी प्रदूषण रोकने तथा नगरीय प्रदूषकों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने एवं कार्रवाई करने में विफल है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दामोदर, स्वर्णरेखा, हरमू एवं अन्य नदियों का 56 बिन्दुओं पर National Water Monitoring Programme (NWMP) के तहत जल गुणवत्ता जाँच किया जाता है। प्रत्येक माह का रिपोर्ट CPCB के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। नदियों का शहरी प्रदूषण रोकने तथा नगरीय प्रदूषकों को रोकने हेतु राज्य में 16 एस०टी०पी० यथा राँची, साहेबगंज, राजमहल, जमशेदपुर, बोकारो एवं धनबाद में कार्यरत है। राज्य के अर्न्तत कुल 104 MLD क्षमता का STP निर्माणाधीन है। इनके अतिरिक्त 427 MLD क्षमता का STP का प्रस्ताव है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक माह का Monthly Progress Report भेजा जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि हरमू नदी पर लगे तीनों सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होने के दिन से ही बंद है और नदी बदबूदार नाला बनकर स्वर्णरेखा को प्रदूषित कर रही है;	अस्वीकारात्मक। हरमू नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर नगर विकास विभाग द्वारा 08 (आठ) एस०टी०पी० का निर्माण किया गया है। जिसमें सं०–07 चालू अवस्था में है एवं 01 निर्माणाधीन है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य की नदियों को शहरी प्रदूषण से रोकने और लापरवाह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कार्रवाई करने का विचार रखतीहै, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० अल्पसूचित प्रश्न–66/2022– 2236 व०प०, दिनांक– 01/08/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1984 दिनांक–28.07.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(22)

2/22
01/08/2022

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–12

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजकीयकृत/प्रोजेक्ट मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक सरकारी कर्मियों की कोटि में आते हैं;	स्वीकारात्मक। इन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली–2015 अधिसूचित है।
2	क्या यह बात सही है कि यदि उपरोक्त कोटि के शिक्षक सरकारी कर्मचारी हैं, तो इन्हें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में उसी विद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (लिपिक/आदेशपाल) के तहत् 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा अंतराल में ACP एवं MACP की सुविधा से अबतक वंचित रखा गया है, जबकि इन शिक्षकों के पैतृक राज्य बिहार में सभी प्रकार माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों के शिक्षकों को यह सुविधा दे दी गयी (ACP एवं MACP) है;	अस्वीकारात्मक। केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2981/वि. दिनांक 01.09.2009 के द्वारा राज्यकर्मियों को *MACP* योजना के अन्तर्गत पूरे सेवा काल में तीन वित्तीय उन्नयन, जो सीधी भर्ती ग्रेड से परिगणित होगा, क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत देय है। साथ ही उल्लेखनीय है कि उक्त संकल्प के परिशिष्ट–1 की कंडिका–16 में प्रावधान है कि *MACP* योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.ई.आर.टी. आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी, जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड के राजकीयकृत/प्रोजेक्ट मध्य/उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को 10, 20 एवं 30 वर्षों के अंतराल में ACP एवं MACP की सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. (*i*) राष्ट्रीय शिक्षक आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुरूप चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में केन्द्र सरकार के स्कूल शिक्षकों हेतु संशोधित वेतनमान् में वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का प्रावधान, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ.5–180/86–यू.टी.–आई. दिनांक 12.08.1987 द्वारा किया गया था। (*ii*) राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के संकल्प सं.–6022/वि.(2) दिनांक 18.12.1989 की कंडिका–13 की उप कंडिका–05 के द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक संवर्ग में दिनांक 01.01.1986 से प्रभावी वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् दिये जाने का निर्णय लिया गया था। (*iii*) दिनांक 18.07.1990 को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ तथा विभाग के मध्य वार्ता के आलोक में एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षकों को दिनांक 01.01.1986 से देय संशोधित वेतन एवं उनके निर्धारण के संबंध में पत्र/निदेश निर्गत किया गया था। (*iv*) बिहार विधान परिषद् के माननीय शिक्षक स०वि०प० सर्वश्री शिवनंदन प्रसाद सिंह, श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं श्री शारदा प्रसाद सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था कि वित्त विभाग के संकल्प सं.–6022/वि.(2) दिनांक 18.12.1989 की कंडिका–13

की उप कंडिका– 05 एवं कंडिका–19 में राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षकों को प्रवर कोटि वेतनमान् का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तदनुसार वित्त विभाग के पत्रांक 92/वि. दिनांक 07.09.1992 एवं विभागीय पत्रांक 1100 दिनांक 19.12.1992 द्वारा उपर्युक्त निर्णय के क्रियान्वयन का आदेश/निदेश जारी किया गया था।

2. राज्य में कार्यरत शिक्षकों को केन्द्रीय वेतनमान, केन्द्रीय सेवा शर्तों के अधीन दिया गया है। केन्द्र सरकार के शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान नहीं रहने के कारण राज्य के प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का लाभ भी सम्मिलित है।

3. राज्य के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी वर्ष 1986 से केन्द्रीय वेतनमान् का लाभ केन्द्र सरकार में लागू प्रावधान एवं सेवा शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है। उन्हें दिनांक 01.01.1986 के प्रभाव से वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का लाभ दिया गया है, तदनुसार **विभागीय संकल्प संख्या 1726 दिनांक 21.06.2022 द्वारा एतद् संबंधी विस्तृत मार्गदर्शन एवं आदेश निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रवरण वेतनमान् के पूर्व वर्षों के भी लंबित सभी मामलों में विचार एवं प्रोन्नति की कार्रवाई निष्पादित किये जाने का स्पष्ट आदेश अंकित है।**

4. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 660/F दिनांक 28.02.2009 द्वारा राज्य के राजकीयकृत/सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के षष्ठ पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान् के समान हू–बहू उत्क्रमित वेतनमान् का लाभ भी दिनांक 01.01.2006 की तिथि से प्रदान किया गया है, जो संबंधित संकल्प के पृष्ठ संख्या 93 पर अंकित है। साथ ही उन्हें प्रत्येक पद हेतु वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का भी लाभ देय है, यथा –

शिक्षक पद	ग्रेड	दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान्	उत्क्रमित एवं अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतनमान एवं ग्रेड पे	दिनांक 01.01.2016 से देय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान
1	2	3	4	5	6
प्राथमिक /इंटर प्रशिक्षित शिक्षक	III	4500–7000	6500–10500	9300–34800+4200 gp	35,400–1,12,400
	II	5000–8000 5500–9000	7450–11500	9300–34800+4600 gp	44,900 –1,42,400
	I	5500–9000 6500–10500	7500–12000	9300–34800+4800 gp	47,6002–1,51,100
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	III	5500–9000	7450–11500	9300–34800+4600 gp	44,900 –1,42,400
	II	6500–10500	7500–12000	9300–34800+4800 gp	47,6002–1,51,100
	I	7500–12000	8000–13500	9300–34800+5400 gp	53,100 –1,67,800
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक	III	6500–10500	7500–12000	9300–34800+4800 gp	47,6002–1,51,100
	II	7500–12000	8000–13500	15600–39100+5400gp	56,100 –1,77,500
	I	8000–13500	10000–16000	15600–39100+6600gp	67,700 –2,08,700

5. केन्द्र सरकार के शिक्षकों के अनुरूप राज्य सरकार के शिक्षकों को उत्क्रमित, वरीय एवं प्रवरण वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 की प्रभावी तिथि से देय है एवं दिनांक 01.01.2006 अथवा दिनांक 01.01.2006 के उपरांत नियुक्ति अथवा प्रोन्नति की स्थिति में उस तिथि से उन्हें दिया जा रहा है।

6. वर्तमान में तदनुरूप प्रतिस्थानी सप्तम पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान् का लाभ राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को देय है, जो उपर्युक्त तालिका के कॉलम–6 में अंकित है।

उन्हें ए.सी.पी. अथवा एम.ए.सी.पी. का लाभ देय एवं अनुमान्य नहीं है।

विश्वासी
31/7/22
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–299 / 2022 2/22 / दिनांक 01/08/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/22

सरकार के अवर सचिव।

23

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1960
01.08.22

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 02.08.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–10

क्र.सं.	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तर श्री आमलगीर आलम, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में अनेक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय को स्थानांतरित व उत्क्रमित करते हुए उर्दू प्राथमिक व उर्दू मध्य विद्यालय कर दिया गया है तथा बिना विभागीय आदेश के रविवार के बदले शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है;	आंशिक स्वीकरात्मक। जिलो से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 407 विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर उर्दू विद्यालय घोषित किया गया था, जिसमें से 350 विद्यालयों में (उर्दू) शब्द हटाकर सुधार कर दिया गया है। 509 विद्यालयों में अवैध रूप से रविवार के स्थान पर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा था, जिसमें से 459 विद्यालयों में पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश के बिना उक्त विद्यालयों में एक विशेष समुदाय द्वारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करना मना किया गया है ;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के गैर अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में से रामगढ़ एवं गढ़वा जिला के एक–एक विद्यालय में हाथ बांध कर प्रार्थना की जाती थी, जिसमें से उक्त दोनों विद्यालयों में हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना लागू करा दिया गया है। सम्प्रति राज्य के सभी गैर उर्दू विद्यालयों में हाथ जोड़ कर ही प्रार्थना की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त सभी विद्यालयों को जिनपर उर्दू विद्यालय आवंटित कर दिया गया है, चिन्हित करते हुए हो रहें अवैधानिक कार्य करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने तथा शुक्रवार को छुट्टी घोषित करने वाले शिक्षकों एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सामान्य विद्यालय से उर्दू विद्यालय का नाम हटाने का निदेश दिया गया है। दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश पत्रांक–1718 दिनांक 11.07.2022, दिनांक 19.07.2022 को हुए विभागीय समीक्षात्मक बैठक में, पत्रांक–1759, दिनांक 29.07.2022 एवं पत्रांक–1948, दिनांक 01.08.2022 के द्वारा दिया गया है।

1/8/22
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/व2–64/2022.....1960.राँची दिनांक 01.08.22

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1689, दिनांक 25.07.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/22
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2022 कोपूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–06 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने 01 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 चीजों के बनाने, बेचने और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है,	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में भी इस पाबंदी को कठोरता से लागू करने के लिए ठोस उपाय एवं प्रयास करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हाँ। 1. सरकार द्वारा 01 जुलाई के पूर्व से ही लगातार हर जिले में ULB द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम दैनिक चलाया जा रहा था। 2. 01 जुलाई, 2022 से सभी ULBs द्वारा हर रोज मॉनिटरिंग किया जा रहा है और जो 19 प्रकार के चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण, बनाना एवं बेच रहे हैं उनपर कार्रवाई की जा रही है। 3. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जन जागरूकता के तहत 19 प्रकार के चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित करने की जन सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। 4. सी०पी०सी०बी० द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर दैनिक प्रतिवेदन ULBs द्वारा जमा किया जा रहा है। 5. सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रियाँ यदि कहीं पाई जाती है तो उसकी शिकायत हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा एक एप (SUP-CPCB) विकसित किया गया है, जिसपर शिकायत दर्ज की जा सकती है। यह झारखण्ड में भी लागू है। 6. जन–समस्या की सुविधा हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिस पर प्रतिबंधित चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक की उपलब्धता की शिकायत/आवश्यक जानकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यरत अवधि (10:00 am-6.00pm) के दौरान की जा सकती है। 7. जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक की अवधि में 42 ULB (अर्बन लोकल बॉडी) में से 24 ULB (अर्बन लोकल बॉडी) द्वारा राज्य में कुल 4,63,950 (चार लाख तिरसठ हजार नौ सौ पचास) रुपये जुर्माना के रूप में वसूला गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 2229 वा०प०, दिनांक– 01.08.2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 1690, दिनांक– 25.07.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(25)

2/23
01/08/2022

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–09

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड गठन के बाद +2 उच्च विद्यालयों में वर्ष 2012, 2015 तथा 2017 में शिक्षकों की बहाली हुई थी, और तीनों ही बहाली प्रक्रिया में झारखण्डी भाषाओं (कुड़ुख, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी) में एक भी पद नहीं दिया गया था;	स्वीकारात्मक। राज्य में उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों की कुल संख्या 635 है, जिनमें 59 विद्यालय, बिहार अवधि के हैं तथा शेष 576, +2 उच्च विद्यालय झारखण्ड राज्य के गठन के उपरांत उत्क्रमित हुए हैं, जिनमें सृजित पद निम्नांकित हैं :– (नीचे तालिका देखें)

उत्क्रमण वर्ष	+2 उच्च विद्यालयों की संख्या	प्राचार्य	+2 व्याख्याता /स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक	प्रयोगशाला सहायक	लिपिक	आदेश-पाल
	1	2	3	4	5	6
बिहार अवधि	59	59	59X12	59X3	59	59
2007-08	171	C	171 X 11	171 X 3	171	171
2016-17	280	C	280 X 11	0	0	0
2021-22	125	C	0	0	0	0
योग	635	59	(510X11)+59	230X3	230	230

2. प्रत्येक +2 विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप व्याख्याता के 11, प्रयोगशाला सहायक के 03 पद एवं लिपिक तथा आदेशपाल के 01–01 पद सृजित किया गया है।

3. उत्क्रमण के फलस्वरूप प्रत्येक +2 विद्यालय में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 11 पद (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य) सृजित किये गए हैं।

4. कुड़ुख, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी आदि जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा के +2 शिक्षकों का पद सृजित नहीं है।

5. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश संख्या–2074 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा वर्ष 2021–22 में विभागीय संकल्प संख्या–98 दिनांक 12.01.2022 द्वारा उत्क्रमित 125, +2 उच्च विद्यालयों में पद सृजन हेतु (i) विद्यालयवार माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या, (ii) उनके द्वारा अध्यापन के चुने गए विषयों (सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं सहित), (iii) राज्य में संचालित अन्य +2 उच्च विद्यालयों में विगत चार शैक्षणिक वर्ष में अध्ययनरत रहे छात्रों द्वारा लिए गए विषयों के Sample Survey तथा (iv) विद्यालय की अवस्थिति के अनुरूप उस क्षेत्र विशेष की विशिष्ट क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के सापेक्ष संबंधित विषय/भाषा की आवश्यकता का आकलन कर तार्किक पद सृजन का प्रस्ताव एवं संकल्प संख्या–2045 दिनांक 16.08.2007 द्वारा पूर्व से सृजित, अनावश्यक/अप्रासंगिक हो चुके पदों के प्रत्यर्पण हेतु अनुशंसा 01 माह में उपलब्ध कराने हेतु छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हिन्दी, | इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंडों में सन्निहित है। |

	संस्कृत आदि विषयों की बहाली हो रही है, पर झारखण्डी भाषाओं के शिक्षक नियुक्ति नहीं किए जा रहे हैं;	
3	क्या यह बात सही है कि +2 उच्च विद्यालयों में झारखण्डी भाषाओं (कुडुख, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी) के एक भी पद सृजित नहीं किए गये हैंय	इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंडो में सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्डी भाषाओं (कुडुख, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी) के शिक्षक पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंडो में सन्निहित है।

31/7/22

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–277/2022 3/23 / दिनांक 01/08/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/22

सरकार के अवर सचिव।

26

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि 02.08.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-11 से संबंधित उत्तरः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक-02/वि० 01.15 (अंश) 784 (अनु०) दिनांक-14.06.2022 के आलोक में Revised statutes on minimum qualification for appointment of teacher's, Officers of the Universities and other academic staff in Universities and college and measures for the maintanence of standards in Higher Education-2022; in pursuance to UGC regulation, 2018 को बिना सभी विश्वविद्यालयों के सिनेट/सिंडिकेट के पारित हुए संशोधन कर दिया गया ;	अस्वीकारात्मक । इस संबंध में Revised statutes on minimum qualification for appointment of teacher's, Officers of the Universities and other academic staff in Universities and college and measures for the maintanence of standards in Higher Education-2022; in pursuance to UGC regulation, 2018 से संबंधित प्रारूप की प्रति सभी विश्वविद्यालयों को देते हुए सिनेट/सिंडिकेट से पारित कराकर उपलब्ध कराने का भेजा गया था, इस क्रम में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू द्वारा सिंडीकेट से पारित कर तथा डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची द्वारा सिंडिकेट से पारित कराकर कतिपय सुझावों के साथ उपलब्ध कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड का कोई भी विश्वविद्यालय नैक रेटिंग A++, A+ या N.I.R.F. from 1-100 नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि असिस्टेन्ट प्रोफेसर नियुक्ति हेतु पूर्व ड्राफ्ट UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार राज्य में क्रियान्वित उक्त रेगुलेशन को संशोधन कर बनाए गए नए ड्राफ्ट के अनुसार झारखण्ड के विश्वविद्यालयों से शोध, पी०एच०डी० एवं शैक्षणिक अनुभव प्राप्त कर रहे समान अवसर के लाभ से वंचित रह जायेंगे, जबकि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय से ज्यादा प्राप्तांक वाले छात्र को लाभ मिल जायेगा;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य शर्तों के निर्धारण हेतु विभागीय पत्रांक-963, दिनांक 06.08.2021 के द्वारा Statutes on minimum qualification for appointment of teacher's, Officers of the Universities and other academic staff in Universities and college and measures for the maintanence of standards in Higher Education-2021 निर्गत है। उक्त परिनियम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्राप्त परामर्श के आलोक में revised statutes गठन करने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा सहमति नहीं व्यक्त की गई है तथा उक्त मामला सरकार के अधीन अभी भी विचारधीन है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व की भांति UGC रेगुलेशन 2018 को लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि०स०-57/2022 1211/ रांची, दिनांक- 01/08/2022

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1688, दिनांक-25.07.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/22
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2022 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–14 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वन विभाग द्वारा बोकारो जिला के पेटरवार प्रखण्ड के हर्बल गार्डन का कार्य चन्द्रपुरा जंगल में लगभग 15 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था, किन्तु सरकारी पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण हर्बल गार्डन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तथा सरकारी राजस्व की क्षति हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। बोकारो जिला अन्तर्गत पेटरवार वन क्षेत्र के चन्द्रपुरा वन में कोई हर्बल गार्डन का कार्य नही किया गया है लेकिन पेटरवार वन प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रपुरा वन मे वर्ष 2002 मे एक है0 की औषधीय पौधशाला बनायी गयी थी उक्त पौधशाला के संपोषण की राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 तक प्राप्त होती रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त पौधशाला का संपोषण कार्य बंद है। चन्द्रपुरा पी0एफ0 के 20 हे0 वन में वित्तीय वर्ष 2012–13 मे आरोग्य वन स्थापित किया गया था इसमें आमला, हर्रे, बहेर, करंज, नीम, सिंदूर, चिरौंजी, बेल, जामुन आदि प्रजाति के पौधे की स्थिति काफी अच्छी है।
2. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के पेटरवार प्रखण्ड अन्तर्गत बुण्डू एवं चन्द्रपुरा मे वन विभाग का सैकड़ों एकड़ में सखुआ के बड़े–बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिसका घेराबंदी नही होने के कारण उक्त वृक्षों का देख–भाल एवं उचित रख–रखाव नहीं हो पा रही है;	बोकारो जिला के पेटरवार वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत बुण्डू पी0एफ0 रकबा 65.61 एकड़ तथा चन्द्रपुरा पी0एफ0 रकबा 87.20 एकड़ है, जो काफी बड़ा भू–भाग है। इतने बड़े भू–भाग की घेराबंदी में काफी बड़ी राशि की आवश्यकता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वन क्षेत्र में जैविक उद्यान या डीयर पार्क की स्थापना करते हुए पुनः हर्बल गार्डन स्थापित करना चाहती है तथा सरकारी राशि का दुरूपयोग करनेवाले पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बोकारो जिला के पेटरवार वन प्रक्षेत्र के चन्द्रपुरा पी0एफ0 में हर्बल गार्डन के रूप में कोई इकाई स्थापित नही है, किन्तु चन्द्रपुरा पी0एफ0 में आरोग्य वन विकसित किया गया है, जिसकी वर्तमान स्थिति काफी अच्छी है। चन्द्रपुरा एवं बुण्डू पी0एफ0 में घने प्राकृतिक वन अवस्थित है जिनमे स्थानीय वन समितियों के माध्यम से पारम्परिक औषधीय पौधों को बढ़ावा देकर प्रबंध किया जा रहा है। उक्त वन उद्यान अथवा डीयर पार्क की स्थापना हेतु उपयुक्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–65/2022–2231 प0प0, दिनांक– 01/08/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1966 दिनांक–28.07.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(28)

श्री सरयू राय,मा0स0वि0स0 द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि 02.08.2022 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ०सू०-15से संबंधित उत्तरः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 15.02.2019 को प्रकाशित झारखंड गज़ट (असाधारण) द्वारा जमशेदपुर महिला महाविद्यालय को उत्क्रमित कर जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय बना दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अब वहाँ इंटर कक्षा मे छात्राओं का नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण हजारों छात्रायें +2 की शिक्षा से वंचित हो गई हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (उच्च शिक्षा निदेशालय) के पत्र संख्या 1091 दिनांक 20.07.2022 के द्वारा कुलसचिव, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया है कि छात्र हित को ध्यान मे रखते हुए पूर्व की भांति इंटरमीडिएट सेक्शन की पढ़ाई तथा नामांकन तब तक जारी रखा जाय,जब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है । उक्त के आलोक मे जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के द्वारा इंटरमीडिएट कोर्स को सुचारु रूप से संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
3.	यदि उपरयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्राओं के हित मे वैकल्पिक व्यवस्था होने तक जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय मे इंटर की पढ़ाई जारी रखने के लिए विशेष आदेश देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका -2 मे निहित है ।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि०स०-78/2022 1215 रांची, दिनांक- 01/08/2022

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1985दिनांक-28.07.2022 के प्रसंग मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/22
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(29)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1952
01.08.22

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 02.08.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–05

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 30 जून 2022 तक प्राथमिक शिक्षकों के 26000 पद रिक्त है, फलस्वरूप छात्रों को गुणवत्तपूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।	वस्तुस्थिति यह है कि 17446 सरकारी शिक्षक के पद रिक्त है। सरकारी शिक्षकों के अतिरिक्त राज्य में 62318 सहायक अध्यापक (पारा) शिक्षक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में वर्ष 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में वर्ग 1 से 5 तथा वर्ग 6 से 8 तक कुल 52837 अभ्यर्थी सफल हुए है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार झारखंड प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की की को पूरा करने के लिए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2022 अधिसूचित है। सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गई है। प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

01.08.22
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/व2–63/2022–1952 राँची दिनांक 01.08.22

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1852, दिनांक 25.07.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.22
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार (30)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

1954 01.08.22

श्री विकास कुमार गुप्ता, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ.सू.-17

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड में करीबन 3000 CRP एवं BRP कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004-05 में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् राँची के द्वारा पत्रांक संख्या-2206 एवं 2707, दिनांक 08.01.05 के आलोक में हुई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में कुल 3059 प्रखण्ड साधन सेवी एवं संकुल साधन सेवी कार्यरत हैं, जिसमें से 745 प्रखण्ड साधन सेवी तथा 2314 संकुल साधन सेवी विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि CRP एवं BRP सहायक शिक्षक (पारा शिक्षक), कस्तूरबा के शिक्षक, मॉडल विद्यालय के शिक्षक एवं सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करते हैं परन्तु इनका मानदेय उन शिक्षकों से भी कम है जिनकी ये मॉनिटरिंग करते हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के अंतर्गत कार्यरत प्रखण्ड साधन सेवी (बी.आर.पी.) एवं संकुल साधन सेवियों (सी.आर.पी) के द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों एवं मॉडल विद्यालय के अनुश्रवण एवं अनुसमर्थक का कार्य किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि इनकी सेवा शर्त नियमावली नहीं बनाई गई है ;	स्वीकारात्मक। बी.आर.पी. एवं सी.आर.पी. हेतु सेवाशर्त नियमावली के निर्माण हेतु विभागीय समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। विभागीय समिति के द्वारा इन कर्मियों हेतु सेवाशर्त निर्माण के लिए कतिपय अन्य राज्यों का अध्ययन करते हुए सेवाशर्त विनियमन का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार CRP एवं BRP की सेवा शर्त नियमावली बनाकर वेतनमान में बढ़ोत्तरी करने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय समिति के द्वारा सेवाशर्त का प्रारूप समर्पित किये जाने के बाद सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखते हुए इस पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

01.08.22

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-16/वि.2-46/2022-1954 राँची, दिनांक 01.08.22

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1983, दिनांक 28.07.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.22

सरकार के अवर सचिव

31

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1958
01.08.22

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 02.08.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–03

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री आमलगीर आलम, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के 3226 पद सृजित है तथा इनमें से 3096 पद खाली है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रिंसिपल के 3187 पद सृजित है। जिसके विरुद्ध 92 नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के नहीं रहने के कारण पठन–पाठन का कार्य प्रभावित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक। विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय सहायक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के अनुसार प्रोन्नतिदेने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा स्थापना समिति है। पत्रांक 619, दिनांक 26.08.2021 के द्वारा प्रोन्नति के संबंध वांछित दिशा–निदेश दिया जा चुका है।

अकुसिंह
1/8/22
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/वा–65/2022 1958 राँची दिनांक 01.08.22

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1853, दिनांक 25.07.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह
1/8/22
सरकार के अवर सचिव

(32)

2/28
01/08/2022

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–08

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्त रहित विद्यालयों में राज्य के 40% छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कुल 3.66% छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत् हैं, जो निम्नांकित हैं :–

School Management	Enrolment according to School Category				% in total
	IX-X	IX-XII	XI-XII	Total	
Madarsa Unrecognized	145	0	0	145	0.001
Pvt. Unaided (Recognized)	29809	1484	240121	271414	3.583
Unrecognized	2984	440	1850	5274	0.069
Total	**32938**	**1924**	**241971**	**276833**	**3.660**

Source : U-DISE Plus 2020-21

Total No. of Students of all classes in all category of institutions = **75, 63,206 (Seventy five lac sixty three thousand two hundred & six) only.**

2	क्या यह बात सही है कि दोहरी शिक्षा नीति के कारण वित्तरहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र–छात्रायें सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शासी निकाय के द्वारा संस्थान में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। ये मूलतः निजी शिक्षण संस्थान हैं। इन कर्मियों की नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इन संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राएँ अपनी सुविधानुसार स्वेच्छा से नामांकन लेते हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति, जो केवल झारखण्ड राज्य में ही है, इनकी समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस कदम उठाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के गै.स.प्रे.सं.–3600959 दिनांक 08.09.2021 के प्रसंग में इस संबंध में प्राप्त अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के स्तर से कार्रवाई किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 1917 दिनांक 11.10.2021 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को पत्र प्रेषित है।

विश्वासी
31/7/22
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–278/2022 2128 / दिनांक 01/08/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासी
31/7/22
सरकार के अवर सचिव

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि 02.08.2022 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-04 से संबंधित उत्तरः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग सहित राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, उप-रजिस्ट्रार सहित कई अन्य पदों के साथ-साथ शिक्षकों एवं प्रोफेसरों का सैकड़ों पद वर्षों से रिक्त हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि संबंधित विश्वविद्यालयों के नीतिगत निर्णय लेने में विश्वविद्यालय प्रबंधन को काफी कठिनाई होने के साथ-साथ उक्त विश्वविद्यालयों के अधीन महाविद्यालयों में पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । UGC के अनुसार विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रोस्टर का अनुपालन किया जाना है। इस निमित झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को वर्तमान सत्र में पारित किए जाने का प्रस्ताव है। अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप नियमित नियुक्ति नियमानुसार किया जा सकेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि अबतक UGC मापदण्ड के अनुरूप नियुक्ति नियमावली बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित पदों पर चालू शैक्षणिक वर्ष में नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका-2 में निहित।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि०सं०-67/2022 1219 रांची, दिनांक- 01/08/2022

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1848 दिनांक-25.07.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/22
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–02

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य भर में वर्ष 2019 से Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अंतर्गत कैटेगरी–02 के कुल 608 बालू घाटों, जिसके लिए JSMDC को अधिकृत किया गया था कि बन्दोबस्ती नहीं हो सकी है, और वर्तमान में केवल 17 बालू घाटों का संचालन JSMDC द्वारा हो रहा है जिससे राज्य में बालू का घोर संकट उत्पन्न हो गया है, और करीब 10,000 करोड़ के लगभग 1000 छोटे बड़े सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स लंबित हो गए है, और करीब 25 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अन्तर्गत कैटेगरी–02 बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को दिया गया है एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2017 के तहत श्रेणी–2 बालूघाटों के लिए झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० Deemed Lessee घोषित है। श्रेणी–2 के 608 बालूघाट चिन्हित है। सभी वैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर 22 बालू–घाटों का Environmental Clearance (EC) प्राप्त कर 16 बालू–घाटों का संचालन निगम द्वारा किया जा रहा है। शेष बालूघाटों के संचालन हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खनन योजना तैयार करने एवं Environmental Clearance (EC) प्राप्त करने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि 10 जून से एनजीटी के रोक के बावजूद भी राज्य भर में बालू का अवैध खनन जोरों पर है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। अवैध खनन की रोकथाम हेतु निरन्तर कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह अप्रैल से 15 जुलाई 2022 तक अवैध खनन के संबंध में कुल 168070.775 टन (लघु एवं वृहत) खनिज की मात्रा जप्त की गयी है, जिसमें जप्त वाहनों की संख्या–1806, एफ०आई०आर० की संख्या–726 एवं वसूली गयी राशि 297.713 लाख रू० है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में यथाशीघ्र कैटेगरी–2 के उक्त 608 बालू घाटो की बन्दोबस्ती करवाते हुए राज्य के 170 स्टॉकयार्ड से बालू की आपूर्ति सुनिश्चित कराने, सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम हेतु जी0पी0एस0 सिस्टम अधिष्ठापित करवाने एवं अवैध बालू के उठाव के लिए जिम्मेदार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त कंडिका–1 ➢ यह भी सूचित करना है कि निगम द्वारा संचालित बालूघाटों में नदी से स्टॉकयार्ड तक बालू भंडारित करने हेतु GPS उक्त वाहनों का उपयोग किया जाता है। ➢ बालू के अवैध खनन के मामलों में पदाधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता की सूचना पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–78/2022 1504 /एम0, राँची, दिनांक:– 01/08/2022

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1687 दिनांक–25.07.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–02.08.2022 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–07 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में नई खेल नीति लागू हो गई है, नई नीति के अनुसार स्वर्ण पदक विजेता को चालीस हजार, रजत पदक विजेता को तीस हजार एवं कांस्य पदक विजेता को मात्र पंद्रह हजार का पुरस्कार राशि देने का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में पुरस्कार राशि झारखण्ड राज्य में दिये जाने वाले राशि से दो गुणा से पाँच गुणा ज्यादा है;	छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा आदि राज्यों से खिलाड़ियों को विभिन्न खेलो हेतु प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार राशि से संबंधित सूचना पत्रांक 1230, 1231 एवं 1232, दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखण्ड के खिलाड़ियों ने इस बार सात स्वर्ण सहित 12 पदक अपने नाम किये है;	आंशिक स्वीकारात्मक। खेलो इण्डिया यूथ गेम्स–2021 में झारखण्ड के खिलाड़ियों/टीमों ने 03 स्वर्ण, 03 रजत एवं 06 कांस्य सहित कुल 12 पदक प्राप्त किया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों के तर्ज पर पुरस्कार राशि प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड खेल नीति 2022 अधिसूचित है जिसमें विभिन्न खेल विधाओं में पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने का विहित प्रावधान किया गया है जिस अनुरूप पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा आदि राज्यों से खिलाड़ियों को विभिन्न खेलो हेतु प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार राशि से संबंधित सूचना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–99/2022 1240/ राँची, दिनांक 01-08-2022

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1849/वि०स०, दिनांक–25.07.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.07.22

सरकार के उप सचिव

(36)

2121
01/08/2022

श्री भूषण बाड़ा, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–13

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के साथ, राज्य के समस्त मध्य, उच्च एवं +2 उच्च विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही है तथा कम्प्यूटर की शिक्षा के नाम पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र/छात्राओं से कम्प्यूटर शिक्षा की फीस भी वसूल कर रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। समग्र शिक्षा अन्तर्गत राज्य के चयनित विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना संचालित है। सिमडेगा जिला अन्तर्गत 03 माध्यमिक एवं 10, +2 विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना के तहत् कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। उपर्युक्त योजना अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा निःशुल्क रूप से विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित विद्यालयों में Right to Education के मानक को नजर अंदाज करते हुए छात्र/छात्राओं को केवल कम्प्यूटर की Basic शिक्षा दी जा रही है, कम्प्यूटर की शिक्षा में BCA अथवा ABCA की शिक्षा नहीं दी जा रही है;	अस्वीकारात्मक। (i) प्राथमिक/मध्य विद्यालय Right to Education अधिनियम, 2001 के दायरे में आते हैं, परन्तु उच्च/+2 उच्च विद्यालयों पर यह लागू नहीं है। (ii) समग्र शिक्षा अन्तर्गत राज्य के चयनित विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना संचालित है। इस योजना अन्तर्गत कक्षा–6–12 तक के छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाती है। साथ ही कक्षा 6 से 12 के पाठ्यक्रम तथा विद्यालय में विभिन्न विषयों से संबंधित कम्प्यूटर आधारित शिक्षा संबंधित विषय शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है। (iii) BCA का पाठ्यक्रम स्नातक स्तरीय है, जो विद्यालयीय शिक्षा के अन्तर्गत नहीं आता है। ABCA नाम का कोई पाठ्यक्रम कम्प्यूटर शिक्षा के तहत् संचालित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के समस्त विद्यालयों में BCA अथवा ABCA की शिक्षा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस कंडिका का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–2 के उत्तर में सन्निहित है।

विश्वा॥ 31/7/22
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–298/2022 2121 / दिनांक 01/08/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वा॥ 31/7/22
सरकार के अवर सचिव